

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून, 2014, 07.08.2014 एवं 08.08.2019 की अनुपालना में निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिवीक्षा काल की अवधि में उनके सामने अंकित अवधि में उपभोग किये गये अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम व्या. एवं पदस्थापन स्थान(राउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती | अवकाश का प्रकार | अवकाश की अवधि | अवकाश दिनों की संख्या |
|----------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री राहुल शर्मा व्या. अंग्रेजी राउमावि लोचू का वास, शाहपुरा, जयपुर। | असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) | दिनांक 10.12.18 से 11.12.18 दिनांक 14.01.19 से 19.01.19 दिनांक 04.02.19 से 08.02.19 दिनांक 05.03.19 से 07.03.19 दिनांक 08.04.19 से 11.04.19 | 02 दिवस 06 दिवस 05 दिवस 03 दिवस 04 दिवस कुल 20 दिवस |

यदि उपरोक्त कार्मिक का इस अवधि का वेतन आहरण हो गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/परि. अवकाश/2019

दिनांक:- 28/10/2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक,
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर